भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1514

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलियों द्वारा लेवी उदग्रहण

†1514. श्रीमती नीलम सोनकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नक्सली स्थानीय व्यापारियों और अन्य नागरिकों से लेवी का उदग्रहण कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि प्राकृतिक संसाधन बहुल कुछ राज्यों में कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्द्धा में सम्यक होने के उद्देश्य से कुछ कॉर्पोरेट घरानों और माओवादियों के बीच मिलीभगत है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेषकर सीपीआई (माओवादी), द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों विशेषतौर पर तेंदू पत्ता ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न अवैध खदान माफिया गिरोहों से जबरन 'धन वसूली' करने की सूचना प्राप्त हुई है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), दिल्ली द्वारा वर्ष 2013 में, किए गए अध्ययन के अनुसार, सीपीआई (माओवादी) विभिन्न स्रोतों से वार्षिक तौर पर 140 करोड़ रू. से अधिक धन संग्रह करते रहे थे।

(ग) और (घ): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के नाते वामपंथी उग्रवादियों आदि द्वारा जबरन धन वसूली और धन की उगाही से संबंधित अपराधों के मामले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत, जांच और अभियोजित किए जाते हैं। इसलिए, इन मामलों के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ): जब कभी जबरन धन वसूली की ऐसी घटना की जानकारी मिलती है तो संबंधित राज्य सरकारें पुलिस और विधिक कार्रवाई करती हैं। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों को अवैध खनन/वन ठेकेदारों/ट्रांसपोर्टरों और उग्रवादियों के बीच अन्तर्संबंध को रोकने के लिए विशेष कर-विरोधी और धन-शोधन-रोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की सलाह दी गई है।